बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

::आदेश::

सं0सं0–9/आ0–03–03/2022(स्वा0) 301(9) /पटना, दिनांकः– 21.3.25

डॉ0 बीरेन्द्र कुमार, तत्कालीन सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–929 दिनांक–07.04.2022 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर AES/JE के रोक–थाम एवं जनजागरूकता के कार्य के समीक्षात्मक बैठक में दिनांक–07.04.2022 को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक–08.04.2022 को जिला भ्रमण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं0–195(9) दिनांक–16.02.2023 द्वारा निम्नांकित शास्ति अधिरोपित की गयीः–

i. निलंबन अवधि दिनांक–11.04.2022 से 16.02.2023 तक में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।
ii. संचयी प्रभाव के बिना दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित की गयी।

2. डॉ0 बीरेन्द्र कुमार द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध दिनांक–01.08.2023 को पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके पत्रांक–1116 दिनांक–06.04.2022 द्वारा अपनी पत्नी की अस्वस्थता का उल्लेख करते हुए आकस्मिक अवकाश का आवेदन जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं क्षेत्रीय अपर निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को भेजा गया। उनके पड़ोसी द्वारा पत्नी के गम्भीर अस्वस्थता की सूचना दी गयी थी। इसके कारण वे अवकाश स्वीकृत कराये बिना घर चले गये। विभागीय अधिसूचना सं0–1165(2) दिनांक–30.06.2023 के अनुपालन में डॉ0 कुमार द्वारा क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर का प्रभार ग्रहण किया गया है।

3. डॉ0 कुमार द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन में द्वितीय कारण–पृच्छा के तथ्यों को ही अंकित किया गया है। द्वितीय कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर की समीक्षोपरान्त डॉ0 कुमार के विरूद्ध निलंबन अवधि पर निर्णय लेते हुए शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की गयी। डॉ0 कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन कालबाधित भी है।

4. अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा मामलें की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त डॉ0 कुमार के पुनर्विचार अभ्यावेदन में कोई ऐसा तथ्य अंकित नहीं है, जो सुविचारित प्रदत शास्ति को क्षान्त करता हो। फलतः डॉ0 कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन कालबाधित की श्रेणी में रहने एवं नये तथ्यों के अभाव में अधिसूचना सं0–195(9) दिनांक–16.02.2023 द्वारा अधिरोपित एवं संसूचित शास्ति यथावत रखते हुए डॉ0 बीरेन्द्र कुमार, तत्कालीन सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर के द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

5. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

21/03/2025

(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–9/आ०–03–03/2022(स्वा0) 301(9) **/पटना, दिनांकः–**21.3.25

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० बीरेन्द्र कुमार, तत्कालीन सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर तदेन क्षेत्रीय उप–निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर सम्प्रति सेवानिवृत्त पत्राचार का पता–घोसरावॉ भवन, कच्ची रोड़, गिरिहिन्डा, शेखपुरा–811105 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

21/03/2025

सरकार के अवर सचिव